पत्र संख्या–541/दस–2–2005–12(35)/2005

प्रेषक,

बी0जी0 गुप्ता
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन
उत्तरांचल, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक 17 दिसम्बर, 2005

विषय:– "सूकर पुनर्वास योजना" हेतु वर्ष 2005–06 की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या– वि. 315/30 25 दिनांक 19 नवम्बर, 2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग की "सूकर पुनर्वास योजना" के लिए शासन को उपलब्ध कराये गये आगणन लागत धनराशि रू0 410.06 लाख के सापेक्ष टी.ए.सी. वित्त विभाग के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि रू0 3,60,95,000/– (रुपये तीन करोड़ साठ लाख पिचानबे हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है :–

1. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग शासन द्वारा स्वीकृत कार्यों पर ही किया जायेगा।
2. अवमुक्त की जा रही धनराशि का नियमानुसार उपयोग चालू वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. योजना पर आने वाला व्यय शासन के प्रचलित नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाय तथा जहाँ आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय।
4. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से पालन किया जाय।
5. धनराशि का आहरण तथा आवश्यकता ही किया जायेगा तथा क्षेत्र की योजनाओं के सापेक्ष आहरण अपने स्तर से किया जाय।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को समय तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
7. अवमुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्राविधानों के अन्तर्गत तथा शासनादेशों के अनुसार व्ययित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
8. आगणन में अतिरिक्त दरों का विभागीय नियम के अधीन अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरें को जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।
9. कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य को प्रारम्भ न किया जाय।
10. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत मॉग है, स्वीकृत मॉग से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
11. एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर लिया जाय।

क्रमशः....2

12. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित किया जाय.
13. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य कराते हुए कार्य योजना हेतु सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थिति स्पष्ट करा ली जाय तथा आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय.
14. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय.
15. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय.

2. उक्त स्वीकृत धनराशि वन विभाग की अनुदान सं0-27 आयोजनागत पक्ष के लेखा शीर्षक 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिकी 800-अन्य व्यय 18-गुजर पुनर्वास योजना की मानक मद 25-लघु निर्माण कार्य के नामे डाली जायेगी.

3. ये आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-152/XXVII(4)/2005 दिनांक 16 दिसम्बर, 2005 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं.

भवदीय

/

(वी0पी0 गुप्ता)
अपर सचिव

क0 संख्या-541(1)/दस-2-2005, तद्दिनांकित.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तरांचल, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून.
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल, देहरादून.
3. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून.
4. अपर सचिव, वित्त अनुभाग-4, उत्तरांचल शासन, देहरादून.
5. निजी सचिव, माननीय मुख्य मंत्री जी, उत्तरांचल शासन.
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून.
7. निदेशक, राजाजी नेशनल पार्क, उत्तरांचल, देहरादून.
8. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तरांचल.
9. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तरांचल सचिवालय, देहरादून.
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून.
11. गार्ड फाइल (वे).

(श्याम सिंह)
अनु सचिव